उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-34/2017/02/92-2-17-02(जांच)/2017

लखनऊ:: दिनांक:: 01 मार्च, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर के कार्यकाल में अधीक्षण अभियंता पद के दायित्वों के प्रति सजग न रहने, सरकार की प्राथमिकता वाली महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने, विभागीय छवि धूमिल करने के साथ-साथ निर्माण कार्यो को प्रारम्भ करने की चल रही प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से विलम्ब करने आदि अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री अनिल कुमार गर्ग, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा

प्रमुख सचिव।

संख्या-34/2017/02(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता,(प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0-लखनऊ को अनुमोदित आरोप पत्र संलग्नक सहित (दो प्रतियों में) इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आरोप पत्र में यथास्थान अपने हस्ताक्षर कर अपचारी अधिकारी को उपलब्ध कराते हुये प्राप्ति रसीद शासन में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- श्री अनिल कुमार गर्ग, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल'-गोरखपुर द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in